न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 01 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पदमाराम पुत्र तगाराम उम्र 61 वर्ष
2. तामलाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 50 वर्ष
3. मांगाराम पुत्र जेताराम उम्र 40 वर्ष
4. गोकलाराम पुत्र नाथूराम उम्र 48 वर्ष
5. खेराजराम पुत्र कमलाराम उम्र 45 वर्ष
   जातियान मेगवालों व भीलों की बस्ती
   सणाऊ तहसील चौहटन, जिला
   बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.जिला कलक्टर बाड़मेर
2.तहसीलदार, चौहटन
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा ग्राम सणाऊ में आबादी विस्तार एवं विघटन हेतु भूमि आवंटन दिनांक 18.12.2015 के विरूद्ध पेश।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 12.04.2019

यह अपील धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण ने इस आशय से पेश की है कि खसरा नम्बर 135 रकबा 136.09 बीघा मौजा ग्राम सणाऊ तहसील चौहटन में अवस्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी किस्म गेर मुमकिन गौचर है जिसमें से 5 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु दी गई है एवं इस गेर मुमकिन गोचर की भूमि की पूर्ती हेतु इसी वाके ग्राम के खसरा नं 235 रकबा 42.12 बीघा किस्म गेर मुमकिन औरण में से 5 बीघा भूमि को सम्परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है। कि उक्त दोनो विवादित आराजी पर अनुसूचति जाति जनजाति के लोगो का कब्जा है जिसे नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे है। अतः अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति से खसरा नं 235 की 5 बीघा गेर मुमकिन औरण घोषित भूमि पर भी अपीलान्ट सहित 50 परिवारों के आवास व कब्जे है अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट को उक्त भूमि खाली कर बेघर होना पडेगा जो नाइन्साफी होगा। अपीलाधीन आदेश में यह शर्त होने से कि 25 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति जनजाति को आवंटित की जावेगी की पूर्ती भी संदेहजनक है। ग्राम पंचायत सणाऊ के सरपंच व ग्रामसेवक ने लिखित में दिनांक 13.10.2015 को ही प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 20.08.2015 के विरूद्ध आपति करते हुए मौजा सणाऊ के खसरा संख्या 235 की आबादी भूमि में से 05 बीघा भूमि ओरण में परिवर्तन करने के प्रस्ताव का गांव वासियों द्वारा भारी विरोध किया जाना अंकित करते हुए प्रस्ताव संख्या 04 के क्रम में की गई कार्यवाही स्थगित रखने का निवेदन किया है। जो आलोच्य आदेश से पूर्व पत्रावली पर है। सरपंच व उपसरपंच सहित गांववासियों ने तहसीलदार चौहटन को दिनांक 26.10. 2015 को लिखित में आपत्तियां देकर स्पष्ट किया कि प्रस्ताव संख्या 4 सरपंच पर दबाव देकर तैयार करवाया गया है जो ग्राम पंचायत की आमसभा द्वारा समर्थित नहीं है। उतरदातागण ने मात्र राजनैतिक प्रभाव व दबाव के चलते न्याय, साम्या एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए अवैध अतिक्रमियों को दण्डित करते हुए बेदखल करने के स्थान पर उनके अवैध अतिक्रमण को नियमित करने एवं अतिक्रमियों का हौसला बढाने हेतु विधि एवं न्याय की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिल खारिज योग्य है।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेंट की ओर से बहस करते हुए बताया कि ग्राम सणाऊ की ओरण भूमि खसरा संख्या 135 कुल रकबा 136.09 बीघा में से 05 बीघा भूमि आबादी घोषित करने व इसकी क्षतिपूर्ति हेतु खसरा संख्या 235 रकबा 42.12 बीघा में से खाली व धोरेवाली भूमि 05.00 बीघा ओरण घोषित करना उचित है। अपीलांटगण राजकीय भूमि पर अतिक्रमी है एवं अतिक्रणों की बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत एव न्याय के सिद्धान्त की मंशा के अनुसार है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत सणाऊ के प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट) में रिपोर्ट प्राप्त की गई जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। इसमें स्पष्ट रूप में अंकित किया जाकर कि "ग्राम सणाऊ के खसरा संख्या 135 कुल रकबा 136.09 बीघा गैर मुमकिन ओरण में से 05 बीघा भूमि आबादी विस्तार की जाना व इसकी **क्षति पूर्ति** हेतु ग्राम सणाऊ की आबादी भूमि खसरा संख्या 235 कुल रकबा 42.12 बीघा में से **05 बीघा भूमि जो धोरेवाली व खाली है को ओरण में परिवर्तन किया जाना उचित है।**" पटवारी, भू.अ. तथा तहसीलदार चौहटन ने रिपोर्ट की है। इसके संलग्न ही मौका रिपोर्ट दिनांक 10.10.2015 में प्रस्तावित 05 बीघा भूमि पर आबादी बसी होना और 10 परिवारों का निवास किया जाना प्रतिवेदित है इसी में आगे अंकित है कि "पंचायत की आबादी भूमि खसरा संख्या 235 रकबा 42.12 बीघा मे से **खाली एवं धोरेवाली भूमि 05 बीघा ओरण घोषित करना उचित बताया है।**" इस पर उपखण्ड अधिकारी चौहटन के पत्रांक 2903 दिनांक 23.11.2015 द्वारा प्रस्ताव जिला कलक्टर बाड़मेर को प्रेषित करते हुए अपनी स्पष्ट अभिशंषा की गई। मौके पर ओरण वाली प्रस्तावित 05 बीघा भूमि में आबादी बसी होने एवं पूर्व की आबादी भूमि 05 बीघा खाली होने से एवं धोरेवाली अनाधिवासित (Unoccupied) होने से इसे ओरण रूप में क्षतिपूर्ति हेतु देने का प्रस्ताव संतुलित, उपयोगी एवं उपयुक्त है। वर्तमान पटवारी हल्का से भी जानकारी ली जाकर इसकी उपादेयता एवं औचित्य के बारे में संतुष्टि कर ली गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं राजकीय परिपत्रों/निर्देशों के अनुरूप होने के कारण विधिसम्मत है जिसमें दखल की कोई गुंजाईश नहीं हैं। अपीलांटगण द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि प्रस्तावित एवं अपीलाधीन आदेश से आवंटित 05 बीघा आबादी भूमि में 25 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को नियमानुसार प्राथमिकता से ग्राम पंचायत आवंटन नहीं करेगी। इसके लिए विकास अधिकारी चौहटन, सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी सणाऊ को अपीलाधीन आदेश की पूर्ण पालना तथा **पंचायती राज नियम 1996** के प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमत क्षेत्रफल के भूखण्डों का नियमानुसार ही पट्टा जारी किया जाना सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 18.12.2015 को यथावत रखा जाता है।

12/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner